रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263648
CG-DL-E-06062025-263648

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2025/ज्येष्ठ 16, 1947
No. 329] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2025/JYAISTHA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2025

सं. 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 372(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और जापान (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "अघुलनशील सल्फर" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 38123930, 28020010 और 38249900 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना फाइल संख्या 06/01/2024-डीजीटीआर, दिनांक 07 मार्च, 2025, जिसे दिनांक 07 मार्च, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तु का निर्यात उत्पाद को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है;

(ii) विषयगत वास्तु की डंपिंग के कारण भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई;

(iii) विषयगत उत्पाद की भरमार होने और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है, और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषय वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित हैं, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	उपशीर्षक अथवा टैरिफ मद *	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	38123930, 28020010, 38249900	अघुलनशील सल्फर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	307	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य और जापान के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	307	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	-तदैव-	-तदैव-	जापान	जापान	शिकोकू केमिकल्स कॉर्पोरेशन	259	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	-तदैव-	-तदैव-	जापान	जापान समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 3 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	358	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	-तदैव-	-तदैव-	जनवादी गणराज्य और जापान के अलावा कोई भी देश	जापान	कोई भी उत्पादक	358	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

**सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है*

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी -190349/18/2025-टीआरयू अनुभाग -सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2025

No. 13/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 372(E).— Whereas, in the matter of "Insoluble Sulphur" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 38123930, 28020010 and 38249900 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the China PR and Japan (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 06/01/2024-DGTR, dated the 7th March 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th March 2025, has come to the conclusion that-

(i) the product under consideration has been exported at a price below normal value, thus resulting in dumping;

(ii) the dumping of the subject goods has resulted in material injury to the domestic industry in India;

(iii) there is causal link between dumping of product under consideration and injury to the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

S. No.	Sub Heading or Tariff Item*	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	38123930, 28020010, 38249900	Insoluble Sulphur	China PR	Any other country including China	Any	307	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than China and Japan	China PR	Any	307	MT	USD
3	-do-	-do-	Japan	Japan	Shikoku Chemicals Corporation	259	MT	USD
4	-do-	-do-	Japan	Any other country including Japan	Any other than (3)	358	MT	USD
5	-do-	-do-	Any country other than Japan and China	Japan	Any	358	MT	USD

**The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

***Explanation*.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190349/18/2025-TRU Section-CBEC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA